

9

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 41/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,
इण्डियन ओवरसीज बैंक, 1-5 अलंकार
टावर, पुराना आर0टी0ओ0रोड, गांधी
नगर, भीलवाड़ा

बनाम 1.मै0 मयूर मिनरल्स अविकसित औद्योगिक
क्षेत्र सहाड़ा(गंगापुर) जिला भीलवाड़ा
2.मै0 मयूर मिनरल्स प्रो0 श्रीमती रंजना देवी
उपाध्याय पत्नि श्री धीरज कुमार उपाध्याय
अविकसित औद्योगिक क्षेत्र सहाड़ा(गंगापुर)
जिला भीलवाड़ा

--- प्रार्थी

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित :- प्रार्थी प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक : 26/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, 1-5 अलंकार टावर, पुराना आर0टी0ओ0 रोड, गांधी नगर भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, व 02 को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम सहाड़ा (गंगापुर) के अविकसित औद्योगिक क्षेत्र में अप्रार्थी संख्या 02 मै0 मयूर मिनरल्स प्रो0 श्रीमती रंजना उपाध्याय पत्नि धीरज कुमार उपाध्याय नि0 सहाड़ा को ग्राम सहाड़ा की औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आ0नं0 5157 में एक औद्योगिक भूखण्ड 2000 वर्गमीटर का 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किया जिसकी लीज डीड दिनांक 18.05.2010 को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा की ओर से निष्पादित करा उसका पंजीयन दिनांक 21.05.2010 को करा स्वमित्व प्राप्त किया। उक्त भूखण्ड एवं इस पर निर्माण आदि को अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा रहन रखा गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे

प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचितायागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा